

हरियाणा सीआईडी ने साइबर अपराध जाँच कौशल बढ़ाने के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये

चर्चा में क्यों?

हरियाणा के [आपराधिक अन्वेषण विभाग \(CID\)](#) और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी संगठन, **उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (C-DAC)** ने व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से साइबर अपराध जाँच में कानून प्रवर्तन कर्मियों के कौशल को बढ़ाने हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoA) पर हस्ताक्षर किये।

मुख्य बिंदु:

- इस कार्यक्रम में साइबर फोरेंसिक विश्लेषण, **साइबर खतरे की खुफिया जानकारी और सामाजिक खुफिया तरीकों में प्रशिक्षण** शामिल होगा।
- MoA के तहत, हरियाणा CID अपनी साइबर फोरेंसिक क्षमता निर्माण और अनुसंधान पहल को मज़बूत करने के लिये C-DAC के साथ सहयोग करेगी।
- दूसरी ओर, C-DAC सोशल मीडिया और साइबर अपराध के लिये समाधान विकसित करेगा, सशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा तथा अनुसंधान पर्याप्तों के लिये सहायता प्रदान करेगा।
- यह सहयोग साइबर अपराध से निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमताओं को मज़बूत करने की दशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आपराधिक अन्वेषण विभाग (CID)

- **ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1902 में स्थापित**, CID राज्य पुलिस का एक जाँच और खुफिया विभाग है। दूसरी ओर, CBI केंद्र सरकार की एक एजेंसी है।
- CID संबंधित उच्च न्यायालयों के निर्देशानुसार हत्या, हमले, दंगा या किसी भी मामले की जाँच कर रही है।

उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (C-DAC)

- C-DAC आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संबंधित क्षेत्रों में **अनुसंधान एवं विकास करने के लिये इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)** का प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन है।
- **भारत का पहला सुपरकंप्यूटर PARAM 8000** स्वदेशी रूप से (वर्ष 1991 में) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा बनाया गया था।
- इसकी स्थापना वर्ष **1988 में हुई थी**।